न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/64/2020

अपींलाट श्री सुमेर लाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा
निवासी निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

<u>आदेश</u>

दिनांक : 14.10.2020

अपीलार्थी श्री सुमेर लाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा निवासी निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 922373 दिनांक 14.08. 2020 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में निरीक्षण हेतु वांछित अभिलेख की विशिष्टियां अंकित नहीं किये जाने से अभिलेख का निरीक्षण नहीं करवाया जा सका। अपीलार्थी को कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपस्थित होने बाबत जरिये पत्र क्रमांक 375 दिनांक 18.03.2020 को सूचित किया गया, इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रार्थी को विधिवत सूचित किया गया है, इस प्रकार अधिनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021-02-27 15:48:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर